राजस्व वाद 172/2023
जीसीएमएरा नंबर–2023/216
पुखराज बनाम राकेश वगैरह

प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को प्रतिवादी संख्या 3 पुसाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत एवं ईकवालिया जवाब के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया मौजा कमेड़िया के खेत खसरा नंबर 389 रकबा 8.2313 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को प्रतिवादी संख्या 3 पुसाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 पुखराज तरड़ व प्रतिवादी संख्या 1 राकेश तरड़ व प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्र तरड़ के हक बंट कब्जा काश्त एवं सहखातेदारी में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 389 रकबा 8.2313 हैक्टेयर रखा सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
2. प्रतिवादी संख्या 3 पुसाराम के नाम मुतदाविया खेताय में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 का राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
3. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक ....4/10/23.... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

28/8/23

4/10/2023